न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—362/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/362)

1. श्रीमती कौशल्या धर्मपत्नी स्व0 श्री मदनलाल
2. गणपत पुत्र स्व0 श्री मदनलाल
3. राजू दत्तक पुत्र श्री राधाकिशन
4. श्रीमती भंवरी पत्नी स्व0 श्री जगदीश
5. महेन्द्र पुत्र श्री जगदीश
6. सुरेन्द्र पुत्र श्री जगदीश
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी गेजी तहसील व जिला दूदू।

अपीलांट्स

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र श्री रामरतन जाति ब्राहमण
2. लक्ष्मण पुत्र श्री रामरतन जाति ब्राहमण
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राहमण
4. राजवीर पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट
   समस्त निवासी ग्राम गेजी तहसील व जिला दूदू।
5. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा दूदू।
6. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक शाखा दूदू।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दूदू।

रेस्पोडेंटस

8. श्रीमती मनोहर पुत्री श्री मदनलाल पत्नी श्री रामस्वरूप
9. श्रीमती मधु पुत्री श्री मदनलाल पत्नी श्री हनुमान
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी कानोता हीरावाला, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
10. श्रीमती मंजू पुत्री श्री जगदीश पत्नी श्री बनवारी लाल शर्मा जाति ब्राहमण
    निवासी नारेडा तहसील फागी जिला दूदू।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू राजस्व वाद संख्या 53/2019

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. श्री तेजेन्द्रसिह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7
4. रेस्पोडेंट संख्या 5, 6, 8 से 10 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—07.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 53/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 2 ने अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुर्तिब आदेशिका दिनांक 9.10.2019 के अनुसार अधिवक्ता श्री लोकेश चौधरी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 अर्थात राजू, जगदीश व मदनलाल की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात आगामी पेशी दिनांक 15. 10.2019 को उनका जवाब बंद कर दिया गया एवं आगामी पेशी दिनांक 27. 11.2019 को प्राथमिक आज्ञप्ति जारी कर दी गइ। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 53/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 5, 6, 8 से 10 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा मृतक श्री जगदीश एवं श्री मदनलाल की आज दिनांक कोई कायम मुकाम कार्यवाही नहीं की गई जिससे प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019 की कोई जानकारी नहीं हो पाई जब दिनांक 13.12.2023 को जब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा रबी की खडी फसल में दखलंदाजी का प्रयास किया गया तब रोकने पर बताया कि उनके हक में आज्ञप्ति जारी हो चुकी है जिससे प्रार्थीगण की खडी फसल अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की हो चुकी है तत्पश्चात दिनांक 14.12.2023 को दूदू न्यायालय जाकर जानकारी की एवं नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिससे आज जानकारी से अंदर मियाद उक्त अपील सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge***.**

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 4 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस कभी भी व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं हुए ना ही उनके द्वारा कोई अभिभाषक को नियुक्त किया गया, लेकिन अवैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्राथमिक आज्ञप्ति जारी फरमा दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुर्तिब आदेशिका दिनांक 9.10.2019 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 श्री मदनलाल की तरफ से वकालतनामा प्रस्तुत करने बाबत अंकन किया गया है जबकि उक्त दिनांक के लगभग डेढ माह पूर्व से ही श्री मदनलाल चलने, फिरने बोलने एवं समझने की शक्ति खो चुके थे न ही उनके द्वारा कोई वकालतनामा हस्ताक्षरित किया गया ना ही कोई अभिभाषक नियुक्त किया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा भी कोई अभिभाषक नियुक्त नहीं किया गया था तथा ना ही कोई वकालतनामा हस्ताक्षरित किया गया था। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटस तथा प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस एक ही परिवार के सदस्य है। इस प्रकार जगदीश पुत्र श्री बालूराम एवं मदनलाल पुत्र श्री मोहन की मृत्यु के समय ही वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 2 को पूर्ण जानकारी थी एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 2 मृतकों के दाह संस्कार एवं समस्त क्रियाकर्मों में शामिल थे इसके बावजूद उनके द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई जिससे वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृत्यु के 90 योम पश्चात ही अबेट हो चुका था जैसा कि मदनलाल पुत्र श्री मोहन का दिनांक 16.10.2019 को तथा जगदीश पुत्र श्री राधाकिशन का दिनांक 10.11.2022 को स्वर्गवास हो चुका था जिसके ठीक 90 योम पश्चात वाद पत्र अबेट हो चुका था। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 द्वारा जानबूझ कर कायम मुकाम कार्यवाही नहीं कर मृत्यु के तथ्यों को छिपाते हुए प्राथमिक आज्ञप्ति जारी करवाई गयी है जो काबिल निरस्त योग्य है। मदनलाल पुत्र श्री मोहन का दिनांक 16.10.2019 को स्वर्गवास हो चुका था जबक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.2019 को प्राथमिक आज्ञप्ति जारी की गई जिससे उक्त आज्ञप्ति मृतक के विरूद्ध पारित किए जाने के कारण प्रथम दृष्टया शुन्य निर्णय एवं आज्ञप्ति है जो निरस्त फरमाया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से यह कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता है कि राज्य सरकार को नोटिस तामील हुए अथवा नहीं, ना ही राज्य सरकार की ओर से कोई उपस्थित होना ही जाहिर होता है तथा

ना ही जवाब दावा प्रस्तुत किया जाना ही जाहिर होता है जबकि वाद पत्र बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है जिससे अंतिम आज्ञप्ति जारी होने पर राज्य सरकार ही डिक्री की पालना करती है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपूर्ण एवं अवैधानिक होकर प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार पक्षकारान के बयान ग्रहण किया जाना कतई दृष्टिगोचर नहीं है ना ही दस्तावेज प्रदर्शित करवाये जाने बाबत ही कोई अंकन है। ऐसी स्थिति में बिना प्रदर्शित दस्तावेज कतई पठनीय नहीं है ना ही ऐसे दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया शुन्य होकर आदेश 18 एवं आदेश 20 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होकर काबिल निरस्त योग्य है। पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि एन.एच. 8 हाल 48 से लगती हुई भूमि अवस्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 अवैधानिक रूप से शुन्य आज्ञप्ति जारी करवा कर उक्त शुन्य आज्ञप्ति की आड में एन.एच. 8 से लगती हुई बेशकीमती आराजीयात की कुर्रेजात रिपोर्ट अपने हक में बनवा कर अतिशीघ्र अंतिम निर्णय व आज्ञप्ति जारी करवाने पर आमादा हैं जिसमें यदि वे सफल हो गए तो अपीलांट्स अपनी पुश्तैनी बेशकीमती आराजीयात में निहित अपने हिस्से से महरूम हो जायेंगे जिससे न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुती के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 53/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी सम्वत 2050 से 2053 के खाता संख्या 7 के आराजी खसरा नम्बर 891/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 911/1 रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 26 बीघा 09 बिस्वा, खाता संख्या 08 के आराजी खसरा नम्बर 824 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 824/1040 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 892 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 893 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 894 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 895 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 896 रकबा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 897 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 898 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 899 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 900 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 901 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 902 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 903 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 904 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 905 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 906 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 907 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 908 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 909 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 20 कुल रकबा 49 बीघा 13 बिस्वा, खाता संख्या 163 के आराजी खसरा नम्बर 910/3 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाके ग्राम गैजी तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है उक्त आराजीयात के वादीगण का हिस्सा खाता संख्या 7 की आराजी खसरा नम्बर 891/2 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा में वादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 हिस्सा 1/4 बहिस्सा बराबर बराबर व खसरा नम्बर 911/1 रकबा 24 बीघा

19 बिस्वा में से एन एच 8 में अवाप्त 1600 वर्गमीटर की भूमि छोडते हुये शेष आराजी में से वादीगण 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 3 हिस्सा 7/32, प्रतिवादी संख्या 4 हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/32 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं मौके पर इसी अनुसार काबिज काश्त है। खाता संख्या 08 के आराजी खसरा नम्बर 824 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 824/1040 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 892 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 893 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 894 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 34 बीघा 22 बिस्वा में से वादीगण हिस्सा 1/4. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/2. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 हिस्सा 1/4 तथा शेष खसरा नम्बर 895 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 896 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 897 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 898 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 899 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 900 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 901 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 902 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 903 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 904 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 905 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 906 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 907 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 908 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 909 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 15 कुल रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा में से वादीगण हिस्सा 3/8 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/8 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा खाता संख्या 163 के आराजी खसरा नम्बर 910/3 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा में से वादीगण का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा मौके पर काबिज काश्त है पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। वाद–पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित सम्पति वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की मुताबिक हिस्सा दर्ज जमाबंदी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं आपस में सहखातेदार है तथा वर्णित भूमि अविभाजित सम्पति है तथा मौके पर अपने अपने हिस्से अनुरूप नालबट एवं बाहमी मौखिक बंटवारा अनुरूप काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित आरजीयात का विधिवत तकासमा नहीं हो रखा है मौके पर उक्त विवादित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी बाई मीट्स एण्ड बोण्डस के सिद्वान्त के अनुरूप अपने अपने हिस्से अनुसार बंटवारा कर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण ने अपने हिस्से में आराजी में खाद बीज डालकर मेर डोल कायम कर काफी उन्नत व उपजाउ बना लिया है इस प्रकार वादीगण ने काफी धन व परिश्रम लगाकर प्रतिवादीगण की वनस्पत अपनी भूमि को उपजाउ बना लिया है परन्तु विधिवत तकासमा नहीं होने एवं राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में इन्द्राज नहीं होने से वादीगण को मेर कोर सीमा को लेकर अनावश्यक विवादो का सामना करना पडता है इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का सहमति हो तो सहमति अन्यथा बाई मीट एण्ड बोण्डस के अनुरूप तकासमा करवा लेवे जिसका वादीगण विधिवत तकासमा करवाने के अधिकारी है। विवादित आराजीयात अविभाजित सम्पति है, परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 बिना विधिव बंटवारा करवाये, बिना संपरिवर्तन आदेश प्रदान किये सहखातेदारी भूमि में वादीगण के सहमति के बिना नेशनल हाईवे संख्या 8 के लगवा रामनगर मुख्य बस स्टेण्ड के पास पुख्ता तामीरात कर नवीन दुकानों का निर्माण कर रहे है तथा भूमि को कृषि से अकृषि बनाने के उद्देश्य से अपने विहित खातेदारी अधिकारो के विपरीत विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत

एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रावधानो, सिद्धान्तों, अधिकारों के बाहर जाकर वादीगण के हक व हिस्से की सरस व कीमती भूमि पर निर्माण करने के उदश्य से आमादा है, जिसको रोका जाना एवं अवैध निर्माण को तुडवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। दिनांक 05.06.2019 का वाका है कि वादीगण अपनी कृषि भूमि में खाद डालकर बाह जोत कर रहे थे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादीगण को धमकी दी कि वह वादीगण की उपजाऊ, कीमती व सरस भूमि पर काश्त करेगा। वादी अन्यत्र भूमि पर जाकर काश्त करे जब वादीगण ने विधिवत तकासमा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 आग बबूला हो गये और वादीगण को धमकी दी सम्पूर्ण भमि पर प्रतिवादीगण लाठी के बल पर कब्जा कर वादीगण को कब्जे से बेदखल कर देंगे तथा विधिक तकासमा करवाने से कतई इंकार हो गये हैं। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बाबत तकासमा डिक्री इस आशय का फरमाया जावे कि वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित विवादित आराजीयात एवं दर्ज हिस्से का बंटवारा अगर सहमति हो तो सहमति कब्जे अनुरूप अन्यथा सरस नरस अर्थात बाई मीट्स एण्ड बोण्डस के सिद्धान्त के अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे एव लगान की फाटबंदी अहलदा अहलदा फरमाई जावे डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार दूदू को लिखा जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद पत्र के वर्णित मद नम्बर 1 की आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न स्वयं करे न किसी से करवाये न विवादित आराजीयात से बेदखल करे न आराजी का बिना तकासमा किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल विक्रय आदि करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धरा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट्स प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 27.11.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए निर्णय पारित किया गया उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019 से असंतुष्ट होकर वर्तमान अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायायल की आदेशिका का अवलोकन किए जाने के पश्चात यह तथ्य दृष्टिगत होते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दिनांक 13. 6.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 19.6.2019 नियत की गई। उक्त दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजू, ओमप्रकाश व मदनलाल की तामीली मानी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिनांक को उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई जो कि न्यायोचित नहीं है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को न्यायहित में कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो कि न्याय की परिभाषा के विपरीत प्रतीत होता है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 6.8.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 व 4 जो कि क्रमशः राजू व

मदनलाल है उनके विरूद्ध दिनांक 19.6.2019 को की गई एक तरफा कार्यवाही को मंजूरी दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 9.10.2019 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 के अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अगली पेशी पर ही दिनांक 15.10.2019 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 जो कि राजू, जगदीश व मदनलाल है उनके जवाब बंद किए गए। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से बिना साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत किए जाने के अवसर अपीलांट को प्रदान नहीं कर मात्र वकालतनामा प्रस्तुत किए जाने की अगली ही पेशी पर जवाब बंद किया गया। जो कि न्यायोचित नहीं है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 को जवाब प्रस्तुत किए जाने के समुचित अवसर न्यायहित में प्रदान किए जाने चाहिए थे जो कि उनके द्वारा नहीं किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब बंद किए जाने के पश्चात अगली पेशी दिनांक 27.11.2019 को ही वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई जो कि अधीनस्थ न्यायालय के न्याय नहीं किए जाने की मंशा को प्रकट करता है। अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किए जाने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है जो कि विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019 को किसी भी रूप से विधिक नहीं माना जा सकता क्यों कि अपीलांट्स को न्यायहित में अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व डिक्री से स्पष्ट है कि अपीलांट्स के न्यायिक अधिकारों का हनन हुआ है क्यों कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा किए गए निर्णय में विधिक त्रुटि कारित हुई है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायायल को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 53/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2019 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कि जाती है कि वे प्रकरण से संबंधित पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर